न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–738/2026
अशोक उर्फ नन्दा पुत्र मोहर सिंह उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी– श्रीकृष्णाधाम कालोनी, औरंगाबाद, थाना सदर बाजार, जिला मथुरा
प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 317/2025, धारा 191(2),191(3),190,115(2), 351(3),352,109(1),103(1) भारतीय न्याय संहिता व 5/25/27 आयुध अधिनियम, थाना सदर बाजार, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **अशोक उर्फ नन्दा** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा शशिपाल व उसके साले राधाचरण के साथ गालीगलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, जान से मारने की नीयत से राधाचरण को गोली मारना, जिससे दौरान उपचार राधाचरण की मृत्यु हो जाना आदि आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा राजकुमार में मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको इस केस में झूठा फँसाया गया है। इस मुकदमे की घटना दिनांक 11.10.2025 को 16.00 बजे की होनी कही जाती है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.10.2025 को 2.17 बजे दर्ज कराई गई है और देरी का कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त, उसके पिता व उसके चार भाईयों को भी वर्तमान केस में झूंठा नामित करते हुए झूंठा फंसाया गया है, बाद में अभियुक्त की मां को भी इस केस में झूंठा फंसा दिया हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट कानूनी सलाह मशविरे से दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा एक अन्य घटना दिनांक 09.10.2025 की भी होना कहा जाता है, जिसके सम्बन्ध में किसी तरह का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किए जाने का जो हेतुक लिखाया गया है, वह पूरी तरह अविश्वसनीय, अतार्किक व कपोलकल्पित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 11.10.2025 की घटना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वादी का साला राधाचरन व गुलवीर सिंह व धर्मवीर सिंह, वादी से वार्ता करने के उपरांत अभियुक्तगण के घर पर वार्ता करने आए और शांतिपूर्वक वार्ता करने के बाद वापस वादी के घर लौटने के दौरान अभियुक्तगण ने घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट में वर्णित परिस्थितियों में इस प्रकार से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपानुसार नंदा के हाथ में पिस्टल, जीतू उर्फ जीतेन्द्र के हाथ में तमंचा, योगेश के हाथ में तलवार और पवन के हाथ में लाठी होना दर्शाया गया है। वादी के स्वीकार्य कथन के अनुसार अभियुक्तगण योगेश, जीतू उर्फ जीतेन्द्र, पवन व आवेदक/अभियुक्त द्वारा वर्तमान केस की घटना में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं की है और न ही उनके हाथों में दर्शाए गए आयुधों का कोई उपयोग उनके द्वारा किया गया है। नंदा के हाथ में पिस्टल का होना रिपोर्ट में लिखाया गया है, जिसमें मैग्जीन फिट होती है, इसके बावजूद भी नंदा द्वारा राधाचरन को दुबारा गोली नहीं

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.08 16:44:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारी गई है, जो प्रथमदृष्टया यह साबित करती है कि यदि वादी द्वारा कथित कहानी को स्वीकार कर लिया जाये तो भी नंदा का उद्देश्य राधाचरन को जान से मारने का नहीं था, अन्यथा वह राधाचरन पर पिस्टल से और भी फायर करता। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लंबित है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 12.10.2025 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। वर्तमान केस में सहअभियुक्तगण मोहर सिंह, श्रीमती मंजू व आशीष चौधरी की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है एवं अपराध में उसकी सक्रिय भूमिका दर्शायी गयी है, जिसके सम्बन्ध में केस डायरी पर पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया गया है।

केस डायरी में चश्मदीद साक्षी श्रीमती सुशीला देवी व धर्मवीर के बयान विवेचक द्वारा अंकित किये गये हैं, जिन्होंने अपने बयान में घटना में सभी लोगों के साथ आवेदक/अभियुक्त को शामिल होना बताया है। आवेदक/अभियुक्त के उपरोक्त घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में केस डायरी पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। सहअभियुक्त मोहर सिंह, जीतू उर्फ जितेन्द्र व सहअभियुक्ता मंजू देवी की जमानत सत्र न्यायालय से निरस्त की जा चुकी है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

केस डायरी पर डा. विनय तिवारी, क्रिटिकल केयर मेडीसन, सिम्स हास्पीटल का बयान उपलब्ध है, जिसमें यह उल्लेख है कि उन्होंने व उनकी टीम द्वारा मजरूब राधाचरण का उपचार किया गया था, उसकी छाती में लगी गोली को आपरेशन कर निकाला गया था, स्थिति में सुधार नहीं हुआ था तो उनके परिजन हायर सेन्टर इलाज हेतु लेकर चले गये।

शारदा केयर हास्पीटल, ग्रेटर नोएडा में चुटैल राधाचरन की दौरान इलाज मृत्यु होना बताया गया है। मृतक की डेथ समरी में मृत्यु का कारण– **Septic shock with hydropneumothorax with ventilator associated pneumonia with gun shot injur**y अंकित है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–08.04.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा